



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258055
CG-DL-E-18102024-258055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4217]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

सं. 67/2024- सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 4586(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 62/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का. आ. 829 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, महाराष्ट्र राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) और (4), में, कॉलम (3) के मद (18) के पश्चात और कॉलम (4) की सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
		(19) योगायतन	आयातित माल की उतराई और निर्यातित माल या ऐसे माल की किसी अन्य श्रेणी की लदाई।

[फा. सं. सीबीआईसी-50394/130/2022]

संजीत कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 62/94-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवंबर, 1994 को का. आ. 829(अ), 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 42/2024-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 12 जून, 2018, का. आ. 2339 (अ), दिनांक 14 जून, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2024

No. 67/2024-Customs (N.T.)

S.O. 4586(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of the section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994, namely:-

In the said notification in the Table, against serial number 8 relating to the State of Maharashtra, in column (3) and (4), after item (18) in column (3) and the entries relating thereto in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
		(19) Yogayatan	Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. CBIC-50394/130/2022]

SANJEET KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal notification No.62/94-Customs (N.T.), dated the 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 829 (E), dated the 21st November, 1994 and was last amended by notification number 42/2024-Customs (N.T.) dated the 12th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2339 (E), dated the 14th June, 2024.